न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 187 / 2017

ओमप्रकाश पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी ढाबा झाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. दलीप पुत्र देवाराम जाति सुथार सा. 15 एस जी आर तहसील सूतरगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. अमरसिंह पुत्र देवाराम जाति सुथार निवासी 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. देवीलाल
4. लालचन्द } पिसरान मनफूल
5. इन्द्राज
6. त्रिलोकाराम } पिसरान गिरधारी
7. विष्णु
8. राजू पुत्र सोहनलाल

अकवाम नायक निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश

उपखंड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 18.12.2017

उपस्थितः—

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक रेस्पो.संख्या 1

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 12.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष कलोनी कंडीशन की शर्त संख्या 8(2) व रा.का.अ. की धारा 251 के तहत पेश कर चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.बी के प.न. 22/299 मु.न. 29 के कि.न. 3 के पूर्वी तरफ कि.न. 8, 13, 18 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी रेस्पो. संख्या 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 18.12.2017 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधी. न्यायालय में चालू रास्ता को स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधी. न्यायालय द्वारा मौका देखा गया एवं रास्ता चालू पाया गया है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट मुआवजा देने को तैयार था फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधी. न्यायालय में अमरसिंह को पक्षकार नहीं बनाया था अपील में पक्षकार बनाया है। रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है, अपीलांट स्वयं के नाम से

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कोई भूमि नहीं है। रेकार्ड में मंजूरशुदा रास्ता है एवं चल रहा है। रास्ता की अत्याधिक आवश्यता होने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 खारिज किया गया है जबकि अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए इसकी निहायत ही आवश्यकता है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायलाय द्वारा विस्तृत में निर्णय पारित किया है जिसमें न्याय सिद्धान्त डीएनजे 2017 के पेज 1 को उद्धत करते हुए विवेचित किया है कि अपीलांट को रास्ते की Absolute necessty साबित नहीं था तथा alternate means if acces उपलब्ध है तथा स्वयं उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा मौका देखा गया है जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलांट के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना जाहिर किया है। अतः नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया।

उपभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस को सुना। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि रेस्पो. संख्या 3 से 8 की तलबी नहीं हुई है जो तलबी की जाये परन्तु रेस्पा. संख्या 1 के अधिवक्ता ने जबाव में जाहिर किया कि अपील के रेस्पो. संख्या 3 से 8 वे ही पक्षकार हैं जो अधी. न्यायालय की पत्रावली के अप्रार्थी सं0 2 से 7 है जिसके सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा अधी.न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया है कि " अप्रार्थी संख्या 2 से 7 सहखातेदार के वारिसान होने के कारण पक्षकार बनाया गया है अन्य कोई

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुतोष अप्रार्थी संख्या 2 से 7 से नहीं चाहा गया है।" अतः इसी अनुरूप बहस करने का निवेदन किया जिससे सहमत होकर अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पो सं. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया।

रेस्पो. 2 के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया कि अधी.न्यायालय में रेस्पो. सं. 2 की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया जो सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 का विधिक नुक्स है। अतः अधी. न्यायालय को इस तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिए जो नहीं करने से Legal objection पेश कर अपील इसी आधार पर खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो.संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रथमतः अपीलांट ने जिस कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र दिया है वह अपीलांट के नाम कृषि भूमि नहीं है अपितु राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पिता मनफूल व चाचा गिरधारी के नाम है। अतः अपीलांट ओमप्रकाश को रास्ता स्वीकृत करवाने की Legal Locus-standai ही नहीं बनती साथ ही चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. बी प.न. 22/299 के कि.न. 1 से 3 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जो आवेदित रास्ते का वैकल्पिक रास्ता है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली के अवलोकन एवं इस पर उपलब्ध रेकार्ड देखने, उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए व इसकी कियान्वति हेतु बने नियम राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 व 69 के प्रावधानुसार रास्ते की आवश्यकता बाबत सन्दर्भ नियम 69 (i) (ii) के अनुसार ही प्रार्थना पत्र खारिज किया है। साथ ही रेस्पो .सं 2 का Legal objection भी नियमाकूल होकर अपील खारिज योग्य है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपीलांट की Legal Locus-standai भी साबित नहीं होती है तथा वैकल्पिक

12/1/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकृत रास्ता उपलब्ध होने के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर